रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-04072022-237041
CG-WB-E-04072022-237041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2886] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944
No. 2886] NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 29 जून, 2022

का. आ. 3034(अ).—पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की अनुच्छेद 6(i) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के तहत मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, ने आदेश दिनांक 18-06-2021 के द्वारा, एक पटसन वर्ष (जुलाई-जून) में 500 कि.ग्रा. अथवा इसके अधिक मात्रा में कच्चा पटसन (कच्चा एवं पक्का, गांठ एवं बिना गांठ के कच्चा पटसन) की ट्रेडिंग करने वाले सभी डीलरों/ट्रेडरों/एजेंसियों/स्टॉकिस्टों इत्यादि को पंजीयन हेतु उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर इस कार्यालय की वेबसाइट [jutecomm.gov.in] तथा 'JUTE SMART' पोर्टल में उपलब्ध प्रारूप में पटसन आयुक्त के कार्यालय में आवेदन करने का निर्देश दिया था। आदेश जारी किए जाने के उपरांत आवेदन जमा करने की समय-सीमा चार बार विस्तारित की गई थी तथा अंतिम बार विस्तार की अनुमति दिनांक 31-10-2021 तक दी गई थी।

2. अब जूट बेलर्स एसोसिएशन के अनुरोध पर विचार करने के उपरांत तथा शेष बचे हुए डीलरों/ट्रेडरों/एजेंसियों/स्टॉकिस्टों इत्यादि को अवसर प्रदान करने के लिए मैं एतद्वारा पटसन वर्ष (जुलाई-जून) में 500 किग्रा अथवा इसके अधिक मात्रा में कच्चा पटसन (कच्चा एवं पक्का, गांठ एवं बिना गांठ के कच्चा पटसन) की ट्रेडिंग करने वाले सभी डीलरों/ट्रेडरों/एजेंसियों/स्टॉकिस्टों इत्यादि, **जिन्होंने अब तक पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया है**, को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर इस कार्यालय की वेबसाइट [jutecomm.gov.in] तथा 'JUTE SMART' पोर्टल में उपलब्ध प्रारूप में आवेदन करने का निर्देश देता हूँ। आवेदन 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2022 तक इस कार्यालय के 'JUTE SMART' पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। आवेदन जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया इस कार्यालय की वेबसाइट [jutecomm.gov.in] पर उपलब्ध है। ऑनलाइन जमा करने के उपरांत,

हस्ताक्षरित/मुहर लगी हुई हार्ड कॉपी की प्रिंट आउट इस कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी। **एक से अधिक आवेदन करना अथवा पटसन आयुक्त के कार्यालय द्वारा पहले ही पंजीयन जारी किए जाने पर नए सिरे से आवेदन करना सख्ती से मनाही है।**

3. सफल पंजीयन होने पर जिनका ब्यौरा सटीक पाया जाएगा उन संबंधित ट्रेडरों/एजेंसियों/स्टॉकिस्टों/डीलरों को पंजीयन प्रमाणपत्र भेज दिया जाएगा। इस प्रमाणपत्र की वैधता निर्दिष्ट अवधि के लिए होगी तथा ई.सी. अधिनियम 1955 की धारा 7 के अधीन किसी भी नियम का उल्लंघन किए जाने पर अथवा आंकड़ों/रिकार्डों को जमा नहीं किए जाने पर/गलत विवरण प्रस्तुत करने/किसी भी रूप में असहयोगिता करने पर किसी भी समय उसे रद्द कर दिया जा सकता है।

4. अगर वे इन आदेशों का अनुपालन करने में विफल होते हैं अथवा उनके द्वारा जमा की गई किसी भी जानकारी के किसी भी रूप में गलत पाने जाने पर उन्हें उपरोक्त पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश की अनुच्छेद 11 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन दंडित किया जाएगा, जिसके तहत जेल एवं जुर्माना दोनों की सजा शामिल हैं तथा उन्हें कच्चे पटसन का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सटीक जानकारी नहीं प्रदान करने पर पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की अनुच्छेद 9 के अधीन कच्चा पटसन स्टॉक की तलाशी एवं जब्ती की जाएगी।

5. इस कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र के बगैर किसी भी ट्रेडर/डीलर/एजेंसी अथवा स्टॉकिस्टों इत्यादि को कच्चा पटसन की ट्रेडिंग/स्टॉकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश का किसी भी तरह उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन दंडनीय है।

[फा. सं. जूट (एमकेटीजी)/106/रॉ जूट रजिस्ट्रेशन/2015]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 29th June, 2022

S. O. 3034(E).—In exercise of powers conferred under Clause 6(i) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakrabortty, Jute Commissioner vide Order dated 18-06-2021 had directed all dealers/traders/agencies/stokists etc. trading with 500 Kgs or more quantity of raw jute in a jute year (July-June) (kutcha and pucca, baled and unbaled raw jute) to apply to the office of the Jute Commissioner for registration within a period of 30 days from the date of publication of the Order in the proforma in this office website [**jutecomm.gov.in**] & 'JUTE SMART' portal. The time limit for submission of application was extended four times after the issue of the Order and the last extension was allowed upto 31-10-2021.

2. Now, after considering the request of the Jute Balers Association and providing opportunity to the left out dealers/traders/agencies/stokists etc. I hereby direct all dealers/traders/agencies/stokists etc. trading with 500 Kgs or more quantity of raw jute in a jute year (July-June) (kutcha and pucca, baled and unbaled raw jute), **who have not yet applied for registration** to apply for registration within a period of 30 days from the date of publication of this Order in the proforma in this office's website [**jutecomm.gov.in**] & 'JUTE SMART' portal. The application is to be submitted online through 'JUTE SMART' portal of this office from **1st July to 31st July, 2022**. The detailed procedure of submission of the application is provided in this office Website namely [**jutecomm.gov.in**]. After online submission, hardcopy signed/stamped print out has to be mandatorily submitted to this office by post or in person. **It is strictly prohibited to submit multiple applications or submit a fresh application if registration has already been issued from the office of the Jute Commissioner**.

3. On successful registration, certificate of registration will be provided to the respective traders/agencies/stockists/dealers if the details are found in order. Such certificate will have validity for specific duration & also can be revoked anytime for commission of any offence under Section 7 of the E.C.Act 1955 or for non-submission of data/ records/falsification/non-cooperation in any other form.

4. If they fail to comply with these directions or if they submit any information which is found to be false in any material particular, they shall be punishable under Clause 11 of the aforesaid Jute and Jute Textiles Control Order read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955, which provides for both imprisonment and fine and they shall not be allowed to trade raw jute. Further, failure in providing correct information will result in searching and seizing of raw jute stock under Clause 9 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016.

5. No trading/stocking of raw jute will be allowed by any trader/dealer/agency or stockists etc without registration certificate issued by this office. Any contravention of this order will be punishable under Section 7 of the Essential Commodities Act. 1955.

[F. No. Jute(Mktg)/106/Raw Jute Registration/2015]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA